राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

No.NB.DoR/GSS/ 868 /NPOF-1/2014-15

30 May 2014

Chairman/Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All Regional Rural Banks

Dear Sir

Capital Investment Subsidy Scheme for Commercial Production Units of Organic Inputs under National Project on Organic Farming

As you are aware, the above scheme is being implemented since 2004-05. Out of the three components in the scheme, the vermy-hatcheries component has been discontinued w.e.f 11 August 2010 while the other two components viz. Fruit and Vegetable Market Waste Compost and Bio-fertilizers - Bio-pesticides production units are being continued with existing operational guidelines.

As per existing operational guidelines vide letter No.3005 & 3006 dated 24 March 2011, each unit of Bio-fertilizers - Bio-pesticides will be provided with a subsidy @ 25% of the capital cost of the project subject to a ceiling of Rs.40 lakh and each unit of fruit and vegetable waste compost production unit will be provided with a subsidy @ 33% of the capital cost of the project subject to a ceiling of Rs.63 lakh (The ceiling is enhanced from Rs.60 lakh to Rs.63 lakh w.e.f. 1 April 2014). The remaining cost will be met through term loan from banks and margin money. The subsidy will be credit linked and back ended. All other terms/conditions and procedure for submission of claims remain unchanged.

The above scheme has since been extended by Government of India for the year 2014-15 in the existing pattern and hence such projects financed by banks during 01 April 2014 to 31 March 2015 are eligible for subsidy subject to the terms and conditions of the scheme.

You may bring this to the notice of all your bank branches at the earliest for implementation of scheme. Detailed guidelines are available in NABARD Website www.nabard.org.

Yours faithfully

(A.D.Ratnoo)
Chief General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबैं.डीओआर/जीएसएस/ 868/ एनपीओएफ-1/2014-15

30 मई 2014

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

जैव कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैव निविष्टियों के वाणिज्यिक उत्पादन की इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

आपको ज्ञात ही है कि उक्त योजना 2004-05 से कार्यान्वित की जा रही है. योजना के तीन घटकों में से वर्मी हैचरी घटक 11 अगस्त 2010 से बंद कर दिया गया है जबकि दो अन्य घटक यथा फल और सब्जी बाजार वेस्ट कम्पोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स- बायो पेस्टिसाइड्स उत्पादन इकाइयां वर्तमान परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के तहत चल रही हैं.

दिनांक 24 मार्च 2011 के पत्र सं.3005 और 3006 में निहित वर्तमान परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार बायो फर्टिलाइजर्स -बायो पेस्टिसाइड्स की प्रत्येक यूनिट को परियोजना की पूंजी लागत की 25% की दर से सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी ₹40 लाख की सीमा के अधीन होगी और फल और सब्जी वेस्ट कम्पोस्ट की प्रत्येक इकाई को परियोजना लागत की 33% की दर से सब्सिडी जी जाएगी. यह सब्सिडी ₹63 लाख की सीमा के अधीन होगी (दिनांक 1 अप्रैल 2014 से इस सीमा को ₹60 लाख से बढ़ाकर ₹63 लाख कर दिया गया है). शेष लागत को बैंकों से मीयादी ऋण और मार्जिन राशि के जरिए पूरा किया जाएगा. यह सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड और बैक एन्डेड होगी. दावों को प्रस्तुत करने के लिए अन्य सभी नियम/ शर्तें और प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी.

उक्त योजना को भारत सरकार ने इसके वर्तमान स्वरूप में वर्ष 2014-15 के लिए आगे बढ़ाया किया है. अतः बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक वित्तपोषित ऐसी परियोजनाएं सब्सिडी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वे योजना के नियम और शर्तों को पूरा करती हों.

आपसे अनुरोध है कि आप योजना के कार्यान्वयन के लिए इसकी जानकारी शीघ्रातिशीघ्र अपनी सभी शाखाओं को दें. योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध है.

भवदीय

(ए डी रतनू)
मुख्य महाप्रबंधक

C:\Users\kg advani\Desktop\CISS -NPOF.odt